मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक 10/2021 दिनांक 22.12.2021 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 09.02.2022

राज्य सेवा परीक्षा 2021

प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 24.04.2022 (रविवार)

प्रथम प्रश्न पत्र :	सामान्य अध्ययन	प्रात: 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
द्वितीय प्रश्न पत्र :	सामान्य अभिरुचि परीक्षण	अपरान्ह 02:15 बजे से 04:15 बजे तक

महत्वपूर्ण

1. राज्य सेवा परीक्षा 2021 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र में राज्य सेवा परीक्षा अथवा राज्य वन सेवा परीक्षा अथवा दोनों परीक्षाओं हेतु विकल्प सावधानीपूर्वक चयन करें। चयनित विकल्प के अनुसार ही अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा और इस संबंध में आवेदन-पत्र अंतिम रूप से Submit होने के पश्चात कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी, राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु भी एक ही कामन ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर सकेगें बशर्ते कि वे राज्य वन सेवा परीक्षा में भी बैठने की अर्हता रखते हों। इस संबंध में आयोग का राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 का विज्ञापन क्रमांक 11/2021 दिनांक 22.12.2021 भी देखे ।
3. राज्य सेवा परीक्षा 2021 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जागे । किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे । आयु की गणना 01 जनवरी 2022 के संदर्भ में की जाएगी ।
4. **उपरोक्त परीक्षा के लिए आवेदक द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा । अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें की भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।**
5. उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.01.2022 को (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 09.02.2022 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकेगें। इसके पश्चात ये लिंक बंद हो जाएगी।
6. **आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 15.01.2022 से 11.02.2022 तक ऑनलाइन किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र, रु 50/- त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं । ध्यान रखे कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।**

   आवेदक यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा अत: वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।

   त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता हैं तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
7. ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग(महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/भूतपूर्व सैनिक/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे एवं आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 24.04.2022 को दो सत्रों में सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी SMS/E-mail द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 15.04.2022 से www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे।
9. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे । अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें ।

   पात्रता : 1. राज्य सेवा परीक्षा 2021 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र है।

   2. रोजगार कार्यालय में पंजीयन : अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
10. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है । चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची / प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
11. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र , मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों को संधारित नहीं किया जाता है । साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतिक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के दस्तावजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है जिनके सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा तथा सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।**
12. **उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 एवं इससे संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।**
13. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है । किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है । अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आए और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

विज्ञापन का प्रकाशन "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के आगामी अंक में किया जाएगा ।

https://www.freshersnow.com/government-jobs-india/

1. भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं/ पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। वर्गवार पदों की संख्या विभागों द्वारा प्रेषित मांगपत्रों के अनुसार दर्शायी गयी है। भरी जाने वाली रिक्तियाँ निम्नानुसार है :-

स. क्र.	विभाग एवं पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिको हेतु आरक्षित पद संख्या					मध्यप्रदेश के मूलनिवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				कुल	वेतनमान
		UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	VH	HH	OH	MD		
	द्वितीय श्रेणी राजपत्रित																					
	सामान्य प्रशासन विभाग																					
1	राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष	8	4	5	7	3	3	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	गृह (पुलिस) विभाग																					
2	राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक (जी.डी.)	4	2	3	4	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	वाणिज्यिक कर विभाग																					
3	वाणिज्यिक कर अधिकारी	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
4	जिला पंजीयक	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	स्कूल शिक्षा विभाग																					
5	सहायक संचालक	6	3	4	5	2	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	20	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	सहकारिता विभाग																					
6	सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाये	3	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	56100-177500
	श्रम विभाग																					
7	श्रम पदाधिकारी (मुख्य निरीक्षक, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम)	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	नगरीय विकास एवं आवास विभाग																					
8	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी "ख"	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	56100-177500
	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग																					
9	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त (मुख्य कार्यपाल अधिकारी,जनपद पंचायत)	3	2	3	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	9300-34800+4200 ग्रेड पे
10	विकास खण्ड अधिकारी	4	2	3	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	14	9300-34800+3600 ग्रेड पे
	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक																					
	राजस्व विभाग																					
11	नायब तहसीलदार	11	7	9	12	4	4	2	3	4	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	43	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	श्रम विभाग																					
12	सहायक श्रम पदाधिकारी	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	नगरीय विकास एवं आवास विभाग																					
13	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी "ग"	1	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	36200-114800
	वाणिज्यिक कर विभाग																					
14	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	0	4	5	9	2	0	1	2	3	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	20	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
15	उप पंजीयक	0	1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	सहकारिता विभाग																					
16	सहकारिता निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी	5	3	4	4	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18	36200-114800
	वित्त विभाग																					
17	मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा	20	2	23	33	9	7	1	8	11	3	2	0	2	3	1	1	2	1	1	87	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
	कुल पद	68	32	65	89	29	23	10	21	28	9	3	0	3	5	1	4	6	3	2	283	

Abbreviations UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes, EWS – Economically Weaker Section
OH -Orthopedic Handicapped, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped , MD- Multiple Disability

आरक्षण प्रकिया आरक्षण प्रकिया "मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण)

अधिनियम 1994" के उपबंधों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु मध्यप्रदेश शासन के अनुदेशानुसार होगी।

टीप : अ. तालिका में दर्शाए गए निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होगे।

ब. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक नियमों का अवलोकन कर स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हे परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं । यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/ चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा ।

स. प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र तथा बाद में प्रस्तुत होने वाले मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों में भिन्नता पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा ।

द. समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगीं। अन्य प्रदेशो के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे । जिन पदों हेतु किसी श्रेणी / वर्ग हेतु पद आरक्षित नहीं है उन पदों हेतु संबन्धित श्रेणी/ वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित के रूप में ही विचारित किए जाएंगे । मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदको को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होगें । अन्य पिछड़ा वर्ग के नानक्रीमीलेयर के आवेदकों को ही आरक्षण तथा अन्य लाभ देय होंगें। मध्यप्रदेश के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी जो क्रीमीलेयर में आते है, आवेदन-पत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग भरने पर भी अनारक्षित वर्ग के समान ही मान्य किए जाएंगे तथा इन्हे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा । अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व "परिशिष्ट- ख" बिन्दु 5 में उल्लेखित यह घोषणा-पत्र (Declaration) देना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित अद्‌यतन मापदंडो के अनुसार क्रीमीलेयर में नही आते हैं।

इ. **आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों एवं अन्य आरक्षित वर्गो के आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना चाहिए।**

फ. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शासन द्वारा 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी (परिवीक्षा के संदर्भ में व्यवस्था संबंधित विभागों के भर्ती नियमों के अनुसार रहेंगी) ।

<u>अत्यंत</u> <u>महत्वपूर्ण</u> :

विज्ञापन तिथि	:	22.12.2021
ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि	:	10.01.2022
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	:	09.02.2022
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटिसुधार करने की प्रारम्भ तिथि	:	15.01.2022
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटिसुधार करने की अंतिम तिथि	:	11.02.2022
प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि	:	15.04.2022
परीक्षा तिथि	:	**24.04.2022**
नोट - प्रवेश-पत्र में परीक्षा शहर की जानकारी 15 दिवस पूर्व e-Mail/SMS के माध्यम से प्रदान की जाएगी।		

- आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरे ।
- त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, शासकीय सेवक, विक्रम अवार्ड, लिंग (महिला/ पुरुष) एवं परीक्षा केन्द्र से संबंधित विवरण में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा।

2. यदि किसी भी अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में रिक्त् रह जाते है तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिए अग्रणित (Carry Forward) नहीं किए जाएगें । ऐसे रिक्त् पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे ।

3. **विज्ञापन में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 एवं उसमे यथासमय किए गए संशोधन में अधिसूचित अन्य पदों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक शुद्धिपत्र के माध्यम से जोडा जा सकेगा। विज्ञापित पदों की संख्या राज्य शासन के द्वारा पुनरीक्षण किए जाने पर परिवर्तित हो सकती है। पदों की संख्या में परिवर्तन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषणा के पूर्व तक शुद्वि पत्र द्वारा प्रकाशित की जा सकेगी, परन्तु ऐसे पदों के लिए पृथक से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किए जाएंगे तथा विज्ञापन के संदर्भ में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों के आवेदक पात्र रहेंगे । पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकती हैं ।**

4. अ. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा, परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा ।

ब. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु कोई अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा यदि उसके पूर्व में एक जीवित संतान है और आगामी प्रसव 26.01.2001 को या उसके पश्चात होता है जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतानों का जन्म होता है ।

5 परीक्षा योजना :-

(1) राज्य सेवा परीक्षा निम्नलिखित तीन चरणों में होगी -

(अ) मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओ.एम.आर. आधारित)

(ब) सेवाओं तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित विवरणात्मक)

(स) साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षण

राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर इस विज्ञापन के साथ ही प्रकाशित किया जा रहा है। अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट से परीक्षाओं की योजना तथा पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते है।

(2) प्रारम्भिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर/ मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी । इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा । प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपए शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क (रूपए 40/-) पृथक से देय होगा। आपत्ति सही पायी जाने पर आपत्ति शुल्क वापस किया जाएगा किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाएगी :-

1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर-कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है तब प्रावधिक उत्तर-कुंजी को संशोधित किया जाएगा।
2. प्रश्न के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा ।
3 ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा।
4. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जाएगा।
5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित की जाएगी । अंतिम उत्तर-कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति/ पत्र-व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. **उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।**

6. प्रारम्भिक परीक्षा के प्रस्तावित शहर :-

कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	शहर	
01	इन्दौर	10	छिंदवाडा	19	नीमच	28	मुरैना	37	श्योपुर	46	बुरहानपुर
02	उज्जैन	11	जबलपुर	20	पन्ना	29	रतलाम	38	सतना	47	डिण्डोरी
03	उमरिया	12	झाबुआ	21	बडवानी	30	राजगढ	39	सागर	48	अनूपपुर
04	कटनी	13	टीकमगढ	22	बालाघाट	31	रायसेन	40	सिवनी	49	अलीराजपुर
05	खण्डवा	14	दतिया	23	बैतूल	32	रीवा	41	सीधी	50	सिंगरोली
06	खरगौन	15	दमोह	24	भिण्ड	33	विदिशा	42	सीहोर	51	आगर मालवा
07	ग्वालियर	16	देवास	25	भोपाल	34	शहडोल	43	हरदा	52	निवाड़ी
08	गुना	17	धार	26	मण्डला	35	शाजापुर	44	होशंगाबाद		
09	छतरपुर	18	नरसिंहपुर	27	मंदसौर	36	शिवपुरी	45	अशोक नगर		

शहर केंद्र आबंटन के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

अभ्यर्थियों को परीक्षा के शहर केंद्र का आबंटन उनके निवास के पते के आधार पर होगा । शहर केंद्र आबंटन में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

- **केवल मध्य प्रदेश के निवासियों हेतु**
  - वर्तमान पता - इसका प्रमाण आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाए।
  - परीक्षा शहर- यह आटोमेटिक निम्नानुसार भरे जाएंगे :-
    - प्रथम आवंटन - वर्तमान पते का जिला
    - द्वितीय आवंटन - वर्तमान पते का संभाग मुख्यालय
    - तृतीय आवंटन - स्थायी पते का जिला
    - चतुर्थ आवंटन - स्थायी पते का संभाग मुख्यालय

टीप:- आवेदक को उपरोक्त क्रम में परीक्षा केन्द्र आवंटित किए जाएंगे किन्तु परीक्षा केन्द्र की क्षमता तथा प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप अन्य केन्द्र आवंटित किए जा सकेगें । केन्द्र परिवर्तन हेतु कोई भी पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा ।

- **अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर में से दो विकल्पों का चयन करना होगा। परीक्षा केन्द्र का आवंटन आयोग द्वारा प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिगत किया जाएगा।**

नोट :- आवेदक परीक्षा शहर का चयन सावधानी पूर्वक करें । परीक्षा शहर के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्रमान्यता को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा ।

7. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

अभ्यर्थी, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,1956 (अधिसूचना क्रमांक 03 सन् 1956) के अधीन समझे गए विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक होना चाहिए या समतुल्य अर्हता रखता हो।

1 ऐसे अभ्यर्थी, जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात् वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे किन्तु जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है तथा ऐसे अभ्यर्थी भी जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह घोषित किए गए हों, **मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अन्तिम तारीख तक स्नातक /समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।** ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिन तक या उसके पूर्व स्नातक /समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन पत्र के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2 ऐसे अभ्यर्थी भी, जिनके पास ऐसी व्यावसायिक या तकनीकी अर्हताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी उपाधि के समकक्ष हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

3 जिला/ क्षेत्र संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग के पद हेतु उन अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी जिन्होने स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लिया है । अधिमान्यता से तात्पर्य यह है कि समान अंक होने की स्थिति में अंतिम चयन में उस अभ्यर्थी को गुणानुक्रम में पहले चयनित किया जाएगा जिसने स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लिया है ।

8.	आयु सीमा:	
	गैर वर्दीधारी पदों हेतु	21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
	वर्दीधारी पदों हेतु	21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 33 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
	आयु संगणना तिथि	**01.01.2022**

अधिवार्षिकी आयु : 62 वर्ष

आयुसीमा में देय छूट हेतु **परिशिष्ट- "एक"** देखें।

9. **शारीरिक मापदंड :-** गृह (पुलिस) विभाग, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के वर्दीधारी पदों हेतु निम्नानुसार शारीरिक मापदंड निर्धारित है:-

लिंग	ऊंचाई से.मी. में	सीने का घेरा	
		बगैर फुलाए से.मी. में	पूर्णत: फुलाने पर से.मी. में
1	2	3	4
पुरुष	168	84	89
महिला	155	अपेक्षित नही	अपेक्षित नही

वर्दीधारी पदों हेतु अग्रमान्यता भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद हेतु निर्धारित उपरोक्त शारीरिक मापदण्डों को पूर्ण करते

हैं। यदि अभ्यर्थी अपनी अग्रमान्यता के आधार पर किसी वर्दीधारी पद हेतु चयनित होते हैं तथा शारीरिक परीक्षण में असफल होते हैं तो उन्हे पद के अभाव में उनकी अग्रमान्यता के शेष पदों हेतु विचारित नहीं किया जाएगा ।

10 विनष्टीकरण :- इस परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाऐं/दस्तावेज (घोषित अंतिम चयन परिणाम तथा लम्बित न्यायालयीन प्रकरणों को छोडकर), अंतिम चयन परिणाम की घोषणा तिथि के एक वर्ष पश्चात विनष्ट कर दी जायेंगी।

11 राज्य सेवा परीक्षा 2021, **राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015** (यथा संशोधित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-4-2015-एक(1), दिनांक 20.12.2021) के अनुसार आयोजित की जाएगी । उक्त नियम आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किए गए हैं ।

12 राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा तथा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

13 **कोविड-19 के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।**

14 परिशिष्ट :-

(1) आयु सीमा में छूट हेतु परिशिष्ट-एक देखें ।

(2) ऑनलाईन आवेदन करने के निर्देश हेतु परिशिष्ट-दो देखे।

(3) आप्टिकल स्केनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ. एम. आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेशो हेतु परिशिष्ट-तीन देखे।

सचिव

परिशिष्ट -एक

आयु सीमा में छूट

(एक) **उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें**

गैर वर्दीधारी पदों हेतु

मध्य प्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ दिव्यांगजन/ महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी ।

वर्दीधारी पदों हेतु

म.प्र. मध्य प्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-14/2019/एक/3, दिनांक 19 दिसंबर 2019 के अनुसार महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग), पुरुष/महिला आवेदक (अनु.जा./ अनु.ज.जा./ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी ।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) **प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगें।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट - "एक" में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगें। वर्दीधारी पदों के संदर्भ में यह आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी।

https://www.freshersnow.com/government-jobs-india/

परिशिष्ट- दो

राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. **राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है:-**

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट पर www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। जिसे ऑनलाईन ही जमा कर सकते हैं।
2. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त आवेदक निम्न माध्यमों से भी शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:-
   अ. स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं।
   ब. ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं ।
3. अभ्यर्थी MPONLINE के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से शुल्क का नगद भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। MPONLINE के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटो ग्राफ तथा हस्ताक्षर की **25 KB से 200 KB** तक की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय Upload करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्कैनिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

   फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-
   1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें, जिस पर अभ्यर्थी का नाम एवं फोटो खींचने का दिनांक अंकित हो जो तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ।
   2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखे।
   3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते है तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखे स्पष्टत: दिख रही हो।
   4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
   5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
   6. कृपया सेल्फी द्वारा ली गयी फोटो का प्रयोग न करें।
5. **ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में वही नाम/उपनाम/जन्म तिथि को उल्लेखित करे जो उनकी हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित है। यदि अभ्यर्थी द्वारा नाम परिवर्तन करवाया गया है तब भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित उक्त विवरण ही मान्य होंगे।**
6. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिए गए निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
7. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी जानकारी ही प्रमाणिक जानकारी मानी जाएगी । अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।
8. आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop up window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात <u>उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी</u> जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगें। Pop up window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा ।
   अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद ""proceed to payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा ""Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें। आवेदक उक्त आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि का प्रयोग कर प्रवेश-पत्र डाऊनलोड कर सकेंगें। अभ्यर्थी ""Payment Done" उल्लेखित आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा माने।
9. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक **15.01.2022** से **11.02.2022** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र **रु. 50/-** शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए ऐसे अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

https://www.freshersnow.com/government-jobs-india/

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/ पुरुष)/ शासकीय सेवक/ दिव्यांगजन/ भूतपूर्व सैनिक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई भी पश्चांतवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा ।

महत्वपूर्ण :- त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदनों के द्वारा अथवा आयोग को प्राप्त शिकायतों से यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की गयी है तो उसके विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।

10. आवेदक उक्त आवेदन पत्र को सुरक्षित रखें । आवेदन पत्र में अंकित आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इंटरनेट के माध्यम से वे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले सकेंगे ।

11. **<u>अत्यावश्यक</u>** :-

यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में वर्टिकल श्रेणी (अना./ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग) गलत भरी गयी है तो उसे अनारक्षित (ओपन) के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर अनारक्षित (ओपन) श्रेणी में उम्मीदवारी मान्य होगी और यदि होरीजोंटल आरक्षण (महिला/ भूतपूर्व सैनिक/ दिव्यांगजन) में गलत श्रेणी भरी है तो उसी वर्ग के ओपन के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर उस वर्ग के ओपन में उम्मीदवारी मान्य की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि :-

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदन पत्र दिनांक **10.01.2022** को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक **09.02.2022** को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
2. आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक **10.01.2022** को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक **11.02.2022** को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।
3. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. <u>आवेदन एवं परीक्षा शुल्कः-</u>

<table>
<tr><td colspan="3">मप्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क</td><td>शेष सभी श्रेणी एवं मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क</td></tr>
<tr><td colspan="3">250/-</td><td>500/-</td></tr>
<tr><td colspan="4">सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रु. 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा। जो अभ्यर्थी राज्य सेवा तथा वन सेवा दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार ही शुल्क एक बार ही देना होगा।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">टीप :-</td><td>1.</td><td colspan="2">प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट <u>www.mppsc.nic.in</u> पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन माड्यूल की सहायता से रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी उनकी OMR शीट Download कर सकेंगें।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान निर्धारित तिथि तक अलग से करना होगा।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">सूचना के अधिकार के तहत परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अंतिम चयन परिणाम के पश्चात् ही प्रदान की जा सकेगी। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओ का अवलोकन अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद आवेदक द्वारा आवेदन करने पर कराया जा सकेगा । किन्तु उत्तरपुस्तिका की फोटोकापी प्रदान नहीं की जाएगी।</td></tr>
</table>

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211

केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा ।

5. <u>ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारीः-</u>

मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित **राज्य सेवा परीक्षा 2021** के लिए आवेदन पत्र वेबसाइट <u>www.mppsc.nic.in</u> एवं <u>https://www.mponline.gov.in</u> पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आवेदक परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लाक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए https://www.mponline.gov.in पर locateKiosk/CSCsLink देखें। **आवेदक हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211**

से भी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

6. **परीक्षा दिनांकः- 24.04.2022**

7. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म / परीक्षा शुल्क भरने की विधिः-

आवेदक https://www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से **होम पेज पर** CitizenServicesपर क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर MPPSC बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे।
Click here to Apply
Pay for unpaid Application/DuplicateReceipt
Click here to Edit
Download Admit Card Duplicate Receipt/ View Application Status
Click Here to View Advertisement

आवेदक फार्म भरने से पहले **Click here to View Advertisement** को क्लिक कर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही आवेदक **Click here to Apply** को क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां को सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Upload Image दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के दाहिनी ओर आवेदक को फोटो-हस्ताक्षर के (प्रारूप हेतु इस लिंक्स) दिखाई देंगी। Links. को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर jpg फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक Upload Image बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करे।

आवेदक फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई हैं वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही Submit बटन दबाए। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए Proceed to Payment बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगेः-

1. इंटरनेट बैंकिंग (सभी राष्ट्रीयकृत बैंक)
2. क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड

इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - आवेदक चाहे तो स्वंय घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता है। आवेदक फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment का बटन दबाएगा। यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देखा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लागिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य ले एवं संभालकर रखे।

क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वंय इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए **Proceed to Payment** का बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर बैंक का पैमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात कम्प्यूटराईजड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखे।

सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें। **अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाईन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो ।**

8. **एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म / परीक्षा शुल्क भरने की विधिः-**

आवेदक आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाएगा। कियोस्क संचालक https://www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लागिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लागिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में MPPSC सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध कराएगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जाए। कियोस्क संचालक आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गईं समस्त जानकारियां अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदक सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क

की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।

आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें। **अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाईन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो ।** जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का ही होगा।

9. यदि आवेदक के पास क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गए फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application/ Duplicate_Receipt लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है:-

इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताए गए बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गए फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application/ Duplicate Receipt लिंक पर क्लिक कर उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक द्वारा भरी गई समस्त जानकारियाँ अंकित होंगी। **अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाईन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो ।**

- आवेदकों से निवेदन है कि "ऑनलाइन आवेदन" की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा या एमपीऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएँगी।

नोटः- यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए एम.पी. ऑनलाईन के हेल्प लाईन नंबर पर संपर्क करें

हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211

2. **अन्य निर्देश/ जानकारी :-**

1 राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आवेदक का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है, क्योंकि आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता/ जन्मतिथि/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर/ मूल निवासी प्रमाण पत्र/ दिव्यांगता/ विधवा/ परित्यक्तता/ तलाकशुदा/ भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र आदि की मांग नहीं की गयी है । अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न न करें । समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा में सफल आवेदको द्वारा व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं अनुप्रमाणन-पत्रक के साथ संलग्न कर आयोग को भेजना आवश्यक होगा, आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी । मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत अभ्यर्थियों की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

2 राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए केवल अनुवीक्षण [Screening] परीक्षा होती है । उम्मीदवारों के अंतिम चयन में इस परीक्षा में प्राप्तांकों को नही जोड़ा जाएगा ।

3 **आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।**

4 आवेदक को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र, पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर लिखना चाहिए ।

5 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. पर ही SMS या ई-मेल द्वारा आवश्यक होने पर सूचनाऐं दी जाऐंगी ।

6 परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, आपस में बातचीत करना, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुँचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुँचाना, वीक्षक/ केन्द्राध्यक्ष/ अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका को क्षति पहुँचाना एवं उत्तर पुस्तिका को जमा न करना आदि को दण्डनीय माना जाएगा ।

7 **पहचान चिन्हः-** ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें । यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अन्य अंक अपना नाम या अन्य नाम या किसी प्रकार का चिन्ह लगायेंगें तो उसे पहचान चिन्ह बनाया माना जाएगा । ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी ।

8 परीक्षा परिसर तथा साक्षात्कार कक्ष में मोबाईल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस वर्जित है ।

9 उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि सभी स्थानों अर्थात उनके आवेदन पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किए गए समस्त पत्र व्यवहार में उनके व्दारा किए गए हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए । इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए यदि विभिन्न स्थानों पर उनके व्दारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग व्दारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है ।

3. **आवेदन की अंतिम तिथि:-**

ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि **09.02.2022** है । अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी ।

4. **नियोक्ता की अनापत्तिः-**

जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवक के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नही है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत है, उनको यह अभिवचन [Under taking] (जैसा कि ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है । उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को चयन के किसी भी स्तर पर उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

5. **आवेदक को प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण-पत्र लगाने की आवश्यकता नही है। मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थीयों द्वारा मुख्य परीक्षा के परिणाम में निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं अनुप्रमाणन-पत्रक के साथ निम्न अभिलेख संलग्न कर आयोग को प्रस्तुत करना होगा :-**

. **आयु संबंधी प्रमाण के लिए** - केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा ।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की स्वसत्यापित अंकसूचियां। **उपाधि संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।**

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु मध्यप्रदेश शासन के विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ।

जाति प्रमाण-पत्र- उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, अनुप्रमाणन-पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि आवेदक क्रीमीलेयर में नहीं आता है । जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को अनुप्रमाणन पत्रक के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों में निम्न प्रारूप में घोषणा-पत्र (Declaration)_ प्रस्तुत करना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित नवीनतम मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आते:-

क्रीमीलेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में मान्य किए जायेंगे ।

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ------------------- आयोग के विज्ञापन क्रमांक **10./2021 दिनांक 22.12.2021** के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मै निम्नानुसार घोषणा करता/करतीहूं

1. मै -----------------पुत्र/पुत्री श्री------------------- निवासी ग्राम/ कस्बा/ शहर/-------------जिला ------------,मध्य प्रदेश का/ की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/ करती हूं कि मै ---------------जाति का/ की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मै शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/ करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मै सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूं।

दिनांक :- ----------------

हस्ताक्षर------------------

नाम-------------------

रोल नंबर ----------------

यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। वांछित प्रमाण-पत्रों के अभाव में किसी शिथिलीकरण/ रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र- दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-01-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मंडल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है । **अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।** बहु-विकलांगता युक्त दिव्यांगजन को दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम में प्रावधानित प्रारूप में बहु-विकलांगता का स्थायी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

https://www.freshersnow.com/government-jobs-india/

- **शासकीय सेवको/ भूतपूर्व सैनिकों को देय छूट हेतु** नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ।
- **अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत देय छूट हेतु** शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र ।
- **विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को देय छूट हेतु** विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र ।

महत्वपूर्ण टीप :- उपरोक्त में से आवेदक द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

यदि आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदकों के अभिलेख आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी । डाक विभाग अथवा अन्य किसी भी माध्यम से निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त अभिलेख मान्य नहीं किए जाएँगे। अत: आवेदक अंतिम निर्धारित तिथि के पूर्व स्वंय के अभिलेख आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

6. **कदाचरण और उसके लिए कार्यवाही:-** कोई अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है:-

01 जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या वैसा करने का प्रयास किया हो, या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन किए हो जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लिया हो, या

07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्य किसी भी स्थान पर अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृन्द को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

09 उनके प्रवेश-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृन्द द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

11 परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी कर्तव्यरत अधीक्षणकर्ता (इनविजिलेटर) के पास उसकी ओ.एम.आर. शीट जमा करने में असफल रहता है या ओ.एम.आर. शीट को क्षति पहुंचाता है, या

12 परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से प्रश्नपत्र अभिप्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है, तो आयोग-

(एक) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा, ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(दो) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(तीन) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा ।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेगें।

7. **प्रवेश पत्र -**

01 अभ्यर्थी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यदि:-

(क) वह, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र धारण न करता हो, और

(ख) वह, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन/प्रवेश-पत्र में उल्लिखित फोटो परिचय-पत्रों की कोई एक मूल फोटो परिचय-पत्र धारण न करता हो, और

(ग) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र के संलग्न फोटो से उसके चेहरे का मिलान न होता हो, और

(घ) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो का, आयोग द्वारा विहित उसके द्वारा लाए गए फोटोयुक्त परिचय-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो से मिलान न होता हो।

02 प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जायेंगे । अभ्यर्थियों को परीक्षा के 15 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी e-Mail/SMS द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 15.04.2022 से www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेगें। आवेदको को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश पत्र प्राप्त करना होंगे । **इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। प्रवेश पत्र एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड करने पर पांच रूपए पोर्टल शुल्क देय होगा।**

03 यदि प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग अथवा एम.पी. ऑनलाइन से संपर्क करें ।

04 यदि किसी आवेदक का नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करें । केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे ।

05 अत्यंत महत्वपूर्ण - आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य मूल फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र में से कोई एक प्रस्तुत करने एवं उससे आवेदक की पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी:-

1	आधार कार्ड	6	शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2	मतदाता पहचान पत्र	7	बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3	ड्रायविंग लायसेंस	8	शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4	पैन कार्ड	9	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र
5	पासपोर्ट		

मुख्य परीक्षा में सफल आवेदकों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक की पहचान की पुष्टि न होने पर आवेदक को साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

06 आयोग द्वारा अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के पश्चात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंक सूची आवेदकों को ऑनलाइन उपलब्ध करायी जाएगी। आयोग व्दारा पहचान चिन्ह प्रकरण एवं अनुचित साधन प्रयोग करने वाले आवेदकों की परीक्षा निरस्त की जाएगी । अतः ऐसे आवेदकों की अंक सूची ऑनलाइन उपलब्ध नही करायी जाएगी।

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी का प्रदाय :-

1. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि सूचना के अधिकार के तहत उक्त परीक्षा से संबंधित जानकारियां केवल अंतिम चयन परिणाम के पश्चात ही प्रदान की जा सकेंगी।
2. प्रारम्भिक परीक्षा की OMR Sheet परीक्षा परिणाम के बाद ऑनलाईन उपलब्ध करायी जा सकेगी । अत: इस हेतु सूचना के अधिकार के तहत आवेदन न करें।
3. अभ्यर्थी को सूचना के अधिकार के तहत केवल स्वयं की जानकारी प्रदान की जाएगी . अन्य अभ्यर्थियों की नहीं ।

07 विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के समय आवेदकों से प्राप्त किया जाता है तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के अनुसार गुणानुक्रम में आवेदकों का चयन किया जाता है । आवेदकों द्वारा अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा । अत: अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे अग्रमान्यता पत्रक भरते समय विशेष सावधानी बरते। अग्रमान्यता पत्रक में केवल जिन पदों पर अग्रमान्यता दी गयी है, आवेदक को उन्ही पदों पर विचारित किया जाऐगा। जिन आवेदकों द्वारा नियत अवधि तक अग्रमान्यता प्रस्तुत नहीं की गयी है, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा निर्धारित क्रम में अग्रमान्यता मान्य की जाएगी।

08 मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए है ऐसे आवेदक जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित आवेदक मान्य नहीं होंगे) उन्हें भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है । नमूना निम्नानुसार है:-

अभिवचन **(Undertaking)** का प्रारूप

मैंने राज्य सेवा परीक्षा-2021 के विज्ञापन क्रमांक 10/2021 दिनांक 22.12.2021 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के विरूद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाए। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर...............................

नाम......................................

रोल नंबर ....

8 **राज्य सेवा परीक्षाओं के पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**

(अ) राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा

01. राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचारपत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जाएगा। आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।
02. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें प्रकाशित की जाएगी। अत: सफल आवेदक उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन पत्र राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में

https://www.freshersnow.com/government-jobs-india/

उल्लेखित मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन Submit करें ।

03. मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र जमा न करने पर आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

(ब) राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा

01. राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जाएगा। आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

02. राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें प्रकाशित की जाएगी। परीक्षा परिणाम में ही साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी निर्धारित रहेगी। अभ्यर्थी निम्नानुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेख आयोग को प्रेषित करेंगे :-

अ आयोग की वेबसाईट www.mppsc.nic.in में "Download Format" लिंक पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक Download करें।

ब अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक की प्रविष्टियों की पूर्ति करें । एक सेट के साथ अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र तथा निम्न अभिलेखों की छायाप्रतियाँ अधोलिखित क्रम में अनिवार्यतः संलग्न करें :-

1 मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र

2 प्रारम्भिक परीक्षा का आवेदन पत्र

3 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियां।

4 मूल निवास/स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, अपिव के अभ्यर्थियों के क्रीमीलेयर में न आने संबंधी घोषणा-पत्र (केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु)

5 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र की प्रति।

6 दिव्यांगजन श्रेणी होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु)

7 भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र की प्रति।

8 अनुप्रमाणन-पत्रक की तीन मूल प्रति प्रस्तुत करें

9 व्यक्तिगत विवरण-पत्रक की एक मूल प्रति एवं 05 छायाप्रति प्रस्तुत करें

10 उपस्थिति पत्रक की एक मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।

11 पहचान प्रमाण-पत्र हेतु आधार कार्ड की प्रति ।

12 अन्य अनुसंगत अभिलेख।

स उक्त अभिलेखों के सेट की एक प्रति स्वप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग को निम्न पते पर प्रस्तुत करें :-

सचिव,
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया,
इंदौर, मध्य प्रदेश 452001

टीप -

1. लिफाफे के शीर्ष पर "राज्य सेवा परीक्षा 2021 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख" तथा प्रेषक के स्थान पर अभ्यर्थी के मुख्य परीक्षा के रोल नम्बर, नाम एवं पते का उल्लेख अनिवार्यतः करें।

2. अभिलेखों के दो सेट सुरक्षित रखें। उक्त सेट मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के समय अनिवार्यतः साथ लाएें।

03. केवल उन्ही अभ्यार्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात अर्ह पाया जाएगा।

10. यात्रा व्यय का भुगतान -

(अ) निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी :-

1. मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कही सेवारत न हों।

2. मध्य प्रदेश के मूल निवासी 40% या अधिक दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. दिव्यांगता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो ।

(द) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट एवं आधार कार्ड की स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुने।

(फ) जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु देय यात्रा भत्ता का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त नहीं होता है वे इस संदर्भ में कलेक्टर/कमिश्नर कार्यालय से पत्र व्यवहार करें। इस संदर्भ में आयोग से कोई पत्र व्यवहार न करें। इस संदर्भ में आयोग में प्राप्त पत्र बिना किसी कार्यवाही के नस्तीबद्ध किए जायेंगें।

(ज) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

https://www.freshersnow.com/government-jobs-india/

परिशिष्ट-तीन

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

टीप - ओ.एम.आर.शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जाएगा अतः ओ.एम.आर.शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक करें।

1 आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल पाईन्ट पेन अवश्य लाए।

2 गोले भरने के लिए केवल काला बाल पाईन्ट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा नहीं जांची जा सकेगी।

3 ओ.एम.आर.शीट पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें ।

4 ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।

5 उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई है। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

6 आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (✗) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी।

7 **ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए - सामान्य निर्देश -**

(अ) प्रश्नों के उत्तरः ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए है। इन्हें ध्यान से पढ़े। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने है। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए है। इनमें से एक सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें। एक से अधिक गोलों को काला करने पर प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/ मिटाने/ वाईटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्नपत्र कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A,B,C,D set में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।

(स) हस्ताक्षर - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।

(द) **ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्नपत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिए काला बाल पाईन्ट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित 'प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वंय जिम्मेदार होगा । आवश्यक प्रविष्टियाँ सही स्थान पर उचित रूप से न भरने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा।**

8. **रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)**

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ है। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवा स्तम्भ दहाई का एवं छटा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले है। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाईन में चौकोर खानों में दर्शाए अनुसार रोल नम्बर काला बाल पाईन्ट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवे स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल पाईन्ट से गहरा काला करें। अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

रोल नं. चित्र 1

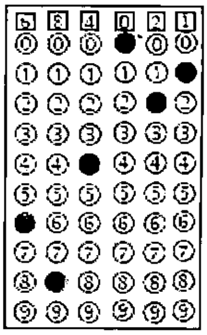

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

एक - प्रवेश

01 परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।

02 परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जाएगा। परीक्षा

प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।

04 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जॉच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल पाईन्ट पेन, प्रवेश पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आऐं। इसके अतिरिक्त मोबाईल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो - **निर्गमन**

01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।

02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।

03 प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।

04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे आवेदकों को प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा में 20 मिनिट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन - **नाम और अनुक्रमांक**

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखे। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और ना ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट- B को काला किया है।

चित्र- चार

A	○
B	●
C	○
D	○

चार - **अनुचित साधन**

परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनकी सीट के निकट, उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या अनावश्यक कागज Electronic Gadget इत्यादि जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो, न हों। परीक्षार्थी अनुचित साधन के प्रयोग से बचें।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनो का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएं आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर.शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

परीक्षा की गोपनीयता :- परीक्षा पूर्व / दौरान / पश्चात प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थीयों / व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पांच - **प्रश्न संबंधी शिकायत**

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपए प्रति प्रश्न तथा रूपए 40 प्रति त्रुटि सुधार सत्र पोर्टल चार्ज) जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराए। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति, विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा सही पायी जाऐगी उस प्रश्न हेतु दिया गया आपत्ति शुल्क आपत्तिकर्ता अभ्यर्थियों को ऑनलाईन पद्धति से वापस किया जाएगा। इस हेतु आपत्तिकर्ता अभ्यर्थियों को आपत्ति मॉडयुल में उसके बैंक खाते की जानकारी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।

छः - **ओ.एम.आर.शीट का लौटाना -**

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौपेंगें। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाऐगी।

सात - ओ.एम.आर.शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ

1 ओ.एम.आर.शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरे। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें। इस संबंध में दिए गए निर्देशों को गम्भीरता पूर्वक पढने के पश्चात ही आवश्यक प्रविष्टियाँ की जावें।

2 ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिन्ह न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ - प्रश्नपत्र पर अंकन

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखे तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिए गए पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - उपस्थिति पत्रक

प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम

अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-

1 दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।

2 मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।

3 ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।

4 आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

5 उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोडकर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएं :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तो के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जाएगा।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिये जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिये। उदाहरण के लिये यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है, तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट

स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा।

द. अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

टीपः- 1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिये जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।

2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हे सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलो को छोड़कर अन्य मामलो में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाऐं उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होगी।

ग्यारह विविध

1 परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेंन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेंन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।

2 परीक्षार्थियों को अपने साथ डिजीटल डायरी, वॉच, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित है।

बारह- परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़े व अनिवार्यता से उनका पालन करें।

तेरह - **अनुशासन व शालीनता**

1 परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना / अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।

2 परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।

3 परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।

4 यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा।उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए है कि ऐसे परिक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किए जाए। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

https://www.freshersnow.com/government-jobs-india/